भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1281
उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियां

†1281. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल, पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन योजना), पीएम ई-विद्या और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) जैसी प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित और जारी की गई कुल निधि का राज्य/वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या तमिलनाडु को दी जाने वाली निधि में कोई कटौती की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) तमिलनाडु में उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है, और करूर, डिंडिगुल, पुदुक्कोट्टई और त्रिची जिलों में स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
(घ) तमिलनाडु में उन स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्हें पीएम श्री योजना के तहत उन्नयन के लिए चुना गया है; और
(ङ.) क्या पीएम श्री योजना के अंतर्गत करूर और उसके पड़ोसी जिलों के पात्र स्कूलों से प्राप्त कोई आवेदन खारिज कर दिए गए हैं या लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तहत आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक -II में है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) के तहत जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र - वार, अनुलग्नक-III में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम ई-विद्या 200 डीटीएच टीवी चैनलों की पहल के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित/जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा, अनुलग्नक-IV में है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना पीएम-उषा (प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के अंतर्गत पूर्ववर्ती राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित कुल निधियों और प्रारंभ से तदनुरूपी केन्द्रीय हिस्से का ब्यौरा अनुलग्नक-V में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम-उषा योजना के तहत जारी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार केंद्रीय निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-VI में दिया गया है।

योजना के दिशा-निर्देशों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ग): समग्र शिक्षा के तहत राज्य सरकार को अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट के अनुसार एकमुश्त *निधि जारी की जाती है* और बाद में जिला स्तर पर निधि का वितरण तमिलनाडु सहित संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार करूर, डिंडीगुल, पुडुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली जिलों में आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम पोषण योजना के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी किए गए 2281.94 करोड़ रुपये में से 2277.54 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएम पोषण योजना के तहत करूर, डिंडीगुल, पुदुक्कोट्टई और त्रिची जिलों में लाभान्वित बच्चों की संख्या निम्नानुसार है -

क्र.सं.	**जिला**	**लाभान्वित बच्चों की संख्या**
1.	करूर	50026
2.	डिंडीगुल	111794
3.	पुदुक्कोट्टई	118851
4.	त्रिची	126545

तमिलनाडु राज्य में रूसा के तहत कुल 873.95 करोड़ रुपये की राशि के साथ कुल 100 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें 527.83 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है, जिसमें से 453.10 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्से) जारी किए जा चुके हैं। योजना के विभिन्न घटकों के तहत करूर, डिंडीगुल, पुडुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली जिलों में कुल 106 करोड़ रुपये की राशि वाली 11 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है, जिनमें से 10 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। तमिलनाडु राज्य ने पीएम-उषा के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(घ) और (ङ): पीएम श्री योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होता है जिसमें पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए स्कूलों की सहायता करने की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की जाती हैं। इसके बाद, पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाता है जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए सहायता हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। तथापि, तमिलनाडु राज्य को अभी तक पीएम श्री योजना में शामिल होना बाकी है।

अनुलग्नक-I

<u>विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक</u>

समग्र शिक्षा के तहत आवंटित और जारी की गई निधियों के केंद्रीय हिस्से का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26	
		आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा
											(रु. लाख में)
1	अंडमान एवं निकोबार	5637.45	3152.32	7402.1	5651.44	9532.55	5527.59	8484.17	6052.36	8939.32	3869.54
2	आंध्र प्रदेश	134853.54	68301.36	171258.59	150359.	179657.	128940.	173293.	124010.	150932.	135357.
3	अरुणाचल प्रदेश	44215.86	27996.24	53369.59	25229.47	59601.03	47503.49	64447.49	57585.11	78323.47	63014.31
4	असम	197702.88	156156.40	251460.08	208086.	260407.	181046.	288347.	202677.	368806.	293009.
5	बिहार	382755.00	340608.45	501887.29	355459.	502132.	424173.	499123.	421781.	601525.	553372.
6	चंडीगढ़	10024.09	10804.09	12422.81	10979.2	13213.9	11636.3	13720.6	11858.3	14810.0	12005.5
7	छत्तीसगढ	88790.33	33236.78	113833.06	82800.0	120045.	77659.0	126779.	83065.8	118482.	99340.7
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6740.66	2092.45	8793.65	6466.66	9537.23	4130.25	9802.68	5462.64	10972.68	6464.84
9	दिल्ली	31521.05	14588.04	37727.38	22193.9	37783.6	14608.8	55139.5	38539.0	56633.2	36574.9
10	गोवा	1861.00	1102.19	2985.77	2985.77	3077.84	1875.43	2426.79	1633.61	2770.98	2424.62
11	गुजरात	100974.38	89375.71	137120.75	132125.	133473.	113253.	160173.	124554.	143519.	139673.
12	हरियाणा	82538.73	51709.18	96350.03	67021.3	101502.	57880.2	107632.	53643.9	84604.2	49381.9
13	हिमाचल प्रदेश	58166.16	31910.05	73808.17	55160.13	68685.12	48596.96	76494.93	52619.99	71073.55	67646.43
14	जम्मू एवं कश्मीर	132021.74	87398.83	165059.67	36497.18	173649.67	86543.88	172160.13	82349.31	143599.16	51692.09
15	झारखंड	90018	85897.13	116768.12	115451.	125218.	110493.	117386.	107444.	122684.	113287.
16	कर्नाटक	70761.11	47451.63	100494.06	86152.4	95443.1	82808.7	93654.5	86830.3	114334.	107534.
17	केरल	25221.99	22512.79	34847.00	17815.9	34334.4	14165.7	42889.4	0.00	45890.9	9927.38
18	लद्दाख	9999.72	5717.55	12349.12	1489.36	19159.0	5222.63	20099.4	13999.8	24401.8	19950.8
19	लक्षद्वीप	573.33	216.15	786.86	432.99	575.47	100.05	741.78	306.12	881.10	560.52
20	मध्य प्रदेश	294630.92	229279.75	372787.9	193928.	389333.	298151.	412209.	343471.	375084.	303907.
21	महाराष्ट्र	101370.47	69302.88	159289.59	90000	134800.	100119.	143859.	112624.	143182.	128900.
22	मणिपुर	37042.52	18250.19	49418.88	40475.7	49677.8	25721.8	53200.5	46559.1	59620.0	33512.8
23	मेघालय	30584.23	27171.38	37515.29	37515.2	40496.0	39418.2	39882.7	36282.5	40658.7	37017.6
24	मिजोरम	22559.99	17968.14	32308.05	14268.0	36087.4	27414.0	29798.6	21651.7	33224.0	17017.7
25	नागालैंड	21808.76	13734.16	28104.5	28104.4	33362.7	23125.3	28439.2	21140.5	36020.0	28100.3
26	ओडिशा	145334.43	123807.39	184107.55	183666.	196376.	123660.	193480.	167239.	213955.	179423.
27	पुदुचेरी	1514	1397.54	1987.3	1527.52	2256.40	1247.37	1974.29	1246.03	2126.35	873.36

28	पंजाब	54353.29	50127.01	71906.33	60504.9	71866.4	33111.6	70878.2	67813.1	94756.4	82309.7
29	राजस्थान	273019.53	240582.13	345219.75	213861.	359233.	320289.	386553.	309065.	370507.	298225.
30	सिक्किम	12249.29	10012.46	15176.05	10718.9	16891.6	13260.5	15661.0	12273.9	16641.5	11373.3
31	तमिलनाडु	164996.07	159882.18	211759.9	210723.	212764.	187615.	215315.	0.00	189642.	71399.1
32	तेलंगाना	88061.36	55327.91	114385.92	114251.	116557.	92012.7	116271.	98878.9	112421.	108641.
33	त्रिपुरा	31820.19	22692.81	38741.08	28672.5	44074.7	34132.9	45179.9	42002.9	50742.2	36171.8
34	उत्तर प्रदेश	512311.24	204497.10	626179.97	381975.	664429.	427645.	697621.	626479.	589243.	562215.
35	उत्तराखंड	67262.62	32083.60	84444.06	70438.9	72768.2	44056.9	88371.4	64678.2	76780.0	49969.8
36	पश्चिम	133877.32	130974.48	177338.04	152204.	176747.	31129.4	174579.	0.00	199839.	0.00
	कुल	**3467173.2**	**2487318.4**	**4449394.2**	**321519**	**456475**	**323827**	**474607**	**344582**	**476763**	**371414**

अनुलग्नक-II

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री को वर्ष 2022 में अनुमोदित किया गया था और वित्त वर्ष 2023-24 में निधि आवंटित/जारी की गयी।

पीएम श्री योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और जारी की गई कुल निधियों का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26	
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ केवीएस/एनवीएस	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.25	1.56	7.64	2.83	10.64	4.03*
2	आंध्र प्रदेश	212.916	106.46	469.43	294.12	386.1	166.73
3	अरुणाचल प्रदेश	16.857	4.21	50.33	33.87	47.29	37.71
4	असम	114.723	57.36	297.92	142.36	195.86	139.82
5	बिहार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	600.45	5
6	चंडीगढ़	0.73	0.64	1.8	1.25	1.65	1.09*
7	छत्तीसगढ	39.48	19.73	120.85	37.35	118.07	59.03
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.6	0.65	2.56	1.01	3.65	2.11*
9	गोवा	3.714	3.25	9.49	4.64	9.97	4.57
10	गुजरात	65.874	32.95	109.74	63.58	125.81	104.16
11	हिमाचल प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	135.35	135.35	145.62	68.87
12	हरियाणा	51.162	25.59	135.3	56.1	115.04	57.52
13	जम्मू और कश्मीर	104.796	52.39	252.68	99.72	249.36	124.68
14	झारखंड	लागू नहीं	लागू नहीं	155.23	38.81	228.87	107.83
15	कर्नाटक	30.18	26.4	150.86	62.78	226.15	113.08
16	लद्दाख	8.09	4.04	26.66	11.91	21.22	19.78*
17	लक्षद्वीप	4.36	1.09	6.77	0.72	7.35	1.42*
18	मध्य प्रदेश	131.994	44.52	261.84	145.33	368.01	180.79
19	महाराष्ट्र	126.81	63.42	339.37	226.15	230.77	170.89
20	मणिपुर	35.271	17.63	82.89	37.83	65.94	60.67
21	मेघालय	8.595	4.29	30.57	20.08	31.68	14.83
22	मिजोरम	8.208	4.12	12	4.96	11.68	5.84
23	नागालैंड	3.906	0.97	22.33	5.44	30.4	19.93

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया केंद्रीय हिस्सा	आवंटित केंद्रीय हिस्सा	जारी किया केंद्रीय हिस्सा
24	ओडिशा	लागू नहीं	लागू नहीं	261.02	130.51	511.19	143.5
25	पुदुचेरी	2.352	2.05	6.52	3	5.66	2.83
26	पंजाब	लागू नहीं	लागू नहीं	125.68	94.26	207.82	174.49
27	राजस्थान	98.37	24.6	270.5	118.69	261.56	144.07
28	सिक्किम	20.358	10.18	31.06	15.11	26.73	24.67
29	तेलंगाना	239.214	59.82	388.67	342.09	253.52	152.37
30	त्रिपुरा	23.616	11.8	51.67	38.45	38.73	24.49
31	उत्तराखंड	65.619	57.41	117.09	58.6	134.16	60.42
32	उत्तर प्रदेश	242.988	121.49	402.68	246.86	377.63	236.22
33	केवीएस	590.71	295.35	817.78	656.29	619.07	309.9*
34	एनवीएस	260.73	162.74	654.44	441.03	383.65	361.02*
35	एनसीईआरटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5.11	1.27*
	कुल	**2520.47**	**1216.71**	**5808.72**	**3571.08**	**6056.41**	**3105.63**

एनए- राज्य/एनसीईआरटी उपरोक्त वर्ष में पीएम श्री योजना में शामिल नहीं हुए थे।

* वित्त वर्ष 2025-26 से, पीएम श्री योजना को एसएनए स्पर्श में शामिल किया गया है इसलिए यह आंकड़ा इन संघ राज्य क्षेत्रों /केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी को छोड़कर जारी की गई मूल स्वीकृति है।

अनुलग्नक-III

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम पोषण योजना के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता

(रुपये करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
1	आंध्र प्रदेश	375.10	373.20	357.31	354.60	365.31	338.72	253.42	299.01	239.07	225.70
2	अरुणाचल प्रदेश	29.17	29.59	29.68	29.68	17.07	28.27	25.73	38.32	26.21	26.38
3	असम	757.03	767.25	615.70	738.34	887.21	772.32	595.94	598.00	851.01	537.83
4	बिहार	1392.48	1385.57	1030.16	1426.06	763.99	982.72	923.23	1301.54	1225.65	1194.80
5	छत्तीसगढ	380.80	424.39	213.15	340.67	510.08	414.19	243.13	291.32	322.04	294.68
6	गोवा	17.09	9.81	6.68	14.16	15.31	22.48	18.32	18.75	19.55	19.55
7	गुजरात	528.71	595.93	507.06	492.97	522.93	470.85	377.85	482.52	372.15	504.11
8	हरियाणा	155.72	157.64	101.63	84.56	152.90	184.03	160.89	154.38	121.66	121.58
9	हिमाचल प्रदेश	105.00	102.97	62.90	66.30	138.01	128.55	94.35	95.25	95.69	92.16
10	जम्मू एवं कश्मीर	159.60	143.06	122.21	89.57	86.84	173.34	136.80	130.91	119.36	127.96
11	झारखंड	352.03	399.51	251.89	565.34	384.24	381.18	342.02	361.84	353.62	343.41
12	कर्नाटक	515.53	565.20	488.34	608.63	690.76	591.62	559.73	547.02	573.03	535.07
13	केरल	276.88	287.76	184.82	321.23	425.43	260.19	249.01	247.02	240.67	215.90
14	मध्य प्रदेश	827.54	876.07	472.20	477.93	362.85	593.40	634.04	558.69	662.43	578.91
15	महाराष्ट्र	1002.50	866.77	490.75	1215.47	1592.40	1424.01	793.72	663.17	1054.07	1021.43
16	मणिपुर	39.00	38.42	16.78	28.62	27.63	37.67	24.59	31.75	28.23	30.29
17	मेघालय	87.33	89.84	85.64	86.24	101.24	101.50	101.86	100.48	98.92	101.71
18	मिजोरम	23.13	21.30	8.92	20.39	29.74	29.74	24.07	26.30	26.61	26.16
19	नागालैंड	27.44	27.14	14.72	24.11	31.96	31.01	22.50	22.80	21.52	21.17
20	ओडिशा	583.01	643.46	482.08	500.65	563.73	548.01	519.37	507.45	503.65	514.78
21	पंजाब	217.69	201.13	191.46	192.77	187.12	179.26	199.88	183.98	184.18	182.27
22	राजस्थान	711.00	716.41	531.06	783.54	899.60	683.37	317.27	805.35	597.87	554.10
23	सिक्किम	8.40	8.56	5.00	9.14	11.45	7.60	8.01	8.29	7.85	7.92
24	तमिलनाडु	492.21	349.69	232.64	422.38	477.00	402.84	398.52	446.19	459.77	438.61
25	तेलंगाना	45.24	0	43.34	96.41	166.82	145.17	145.50	128.96	117.74	117.71
26	त्रिपुरा	62.20	83.85	77.18	72.40	68.57	60.37	44.34	58.32	62.37	60.25
27	उत्तराखंड	130.24	124.40	124.77	123.80	115.75	115.52	114.82	108.73	120.84	102.84
28	उत्तर प्रदेश	2071.66	2107.48	1998.05	1938.83	1334.07	1164.22	1006.59	1187.21	1224.64	1004.28
29	पश्चिम बंगाल	1343.30	1353.42	1394.12	1380.35	1489.47	-	-	-	-	-
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.48	6.29	5.40	4.16	3.65	6.24	5.05	3.90	4.75	4.31
31	चंडीगढ़	13.38	9.08	17.21	16.16	17.73	12.49	6.39	5.89	11.96	10.20
32	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	13.07	12.00	12.21	12.74	12.27	10.15	8.07	10.49	11.68	12.04
33	दिल्ली	112.97	99.55	44.03	69.72	215.27	161.19	83.70	114.76	128.94	126.02
34	लक्षद्वीप	1.41	1.37	0.92	0.81	0.83	1.18	0.95	1.21	2.04	1.93
35	लद्दाख	5.55	3.20	3.76	3.80	2.02	3.17	5.04	4.96	2.60	2.65
36	पुदुचेरी	5.03	5.31	3.73	3.71	3.63	4.96	6.34	4.90	5.49	5.40
कुल		**12874.92**	**12886.62**	**10227.50**	**12616.24**	**12674.88**	**10471.53**	**8451.04**	**9549.66**	**9897.86**	**9164.11**

अनुलग्नक-IV

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 में पीएम ई-विद्या 200 डीटीएच टीवी चैनलों की पहल के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित/जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	1.85
2	अरुणाचल प्रदेश	1.85
3	असम	1.85
4	बिहार	1.85
5	छत्तीसगढ	1.85
6	गोवा	1.85
7	गुजरात	1.85
8	हरियाणा	1.85
9	हिमाचल प्रदेश	1.85
10	झारखंड	1.85
11	कर्नाटक	1.85
12	केरल	1.85
13	मध्य प्रदेश	1.85
14	महाराष्ट्र	1.85
15	मणिपुर	2.95
16	मेघालय	1.85
17	मिजोरम	0.99
18	नागालैंड	1.85
19	ओडिशा	1.85
20	पंजाब	1.85
21	राजस्थान	1.85
22	सिक्किम	1.85
23	तेलंगाना	1.85
24	त्रिपुरा	1.85
25	उत्तर प्रदेश	1.85
26	उत्तराखंड	1.85
27	पश्चिम बंगाल	1.85
28	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	0.87
29	चंडीगढ़ (यूटी)	0.87
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (यूटी)	0.87
31	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	1.85

32	लद्दाख (यूटी)	1.85
33	लक्षद्वीप (यूटी)	0.87
34	पुडुचेरी (यूटी)	0.87

***पीएम ई-विद्या के तहत राज्यों को केवल 2025-26 के दौरान निधियां प्रदान की गयी थी।**

अनुलग्नक-V

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

रूसा/पीएम-उषा के तहत कुल अनुमोदित निधियों और संबंधित केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ में)	अनुमोदित केंद्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	47.90	47.90
2	आंध्र प्रदेश	1218.72	736.06
3	अरुणाचल प्रदेश	204.23	174.39
4	असम	970.16	858.07
5	बिहार	732.65	442.49
6	चंडीगढ़	125.24	125.24
7	छत्तीसगढ	698.80	422.04
8	गोवा	207.04	125.05
9	गुजरात	840.68	490.44
10	हरियाणा	594.61	359.14
11	हिमाचल प्रदेश	494.66	445.68
12	जम्मू और कश्मीर	712.11	641.60
13	झारखंड	846.16	511.04
14	कर्नाटक	1201.87	725.88
15	केरल	974.60	588.62
16	लद्दाख	35.38	34.98
17	मध्य प्रदेश	1128.17	681.37
18	महाराष्ट्र	1431.31	863.37
19	मणिपुर	261.79	235.87
20	मेघालय	211.09	190.19
21	मिजोरम	200.08	180.27
22	नागालैंड	254.80	229.57
23	ओडिशा	1581.66	955.26
24	पुदुचेरी	148.47	89.67
25	पंजाब	581.61	339.38
26	राजस्थान	950.40	574.01
27	सिक्किम	196.79	177.30
28	तमिलनाडु	873.95	527.83
29	तेलंगाना	767.60	463.60
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	18.85	16.18
31	त्रिपुरा	141.20	127.22
32	उत्तर प्रदेश	1942.27	1173.06
33	उत्तराखंड	427.74	385.35
34	पश्चिम बंगाल	903.45	545.65
	कुल *	21926.00	14483.75

* इसमें पीएम-उषा के तहत अनुमोदित 1 प्रतिशत केंद्रीय एमएमईआर राशि यानी 80.30 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं।

अनुलग्नक-VI

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

पीएम-उषा योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के तहत जारी की गई केंद्रीय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	-	-	-	10	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	-	2.15	37.36
3	अरुणाचल प्रदेश	-	27.73	14.38	-	10
4	असम	9.9	68.43	17.15	40.82	64.34
5	बिहार	6.45	-	-	-	3.92
6	चंडीगढ़	-	--	-	16.23	5
7	छत्तीसगढ	-	32.79	3.14	8.02	11.56
8	गोवा	4.65	-	5	0.06	15.62
9	गुजरात	-	-	-	14.3	45
10	हरियाणा	--	-	-	-	3.09
11	हिमाचल प्रदेश	16.07	-	12.67	17.9	39.45
12	जम्मू और कश्मीर		-	-	45.06	27.66
13	झारखंड	23.49	-	4.31	27.5	29.5
14	कर्नाटक	4.5	-	5.62	40.36	41.26
15	केरल	8.7	67.4	-	2.4	42.66
16	लद्दाख	-	-	1.25	-	9.16
17	मध्य प्रदेश	12.3	26.4	17.5	5.3	29.32
18	महाराष्ट्र	39.5	31.22	21.25	5.85	92.49
19	मणिपुर	20.08	-	12.04	-	7.05
20	मेघालय	-	26.33	-	-	13.39
21	मिजोरम	5.4	-	--	11.66	14.8
22	नागालैंड	-	-	-	23.4	10.01
23	ओडिशा	20.9		13.68	17.5	11.72
24	पुदुचेरी	-	-	-	-	8.97
25	पंजाब	14.65	-	-	3.34	8.93
26	राजस्थान	-	-	9.89	22.82	37.64
27	सिक्किम	-	-	21.99	-	19.57
28	तमिलनाडु	14.45	43.37	-	5.12	33
29	तेलंगाना			15.99	18.1	36.83
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	-
31	त्रिपुरा	-	12.35	-	0.03	7.35
32	उत्तर प्रदेश	5.4	-	-	-	98.99
33	उत्तराखंड	30.459	23.5	5.21	9.6	41.93
34	पश्चिम बंगाल	12.25	-	-	3.33	6.69
	कुल	**249.15**	**359.52**	**181.07**	**350.85**	**864.26**

अनुलग्नक-VII

विभिन्न प्रमुख शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा पूछे गए दिनांक 27.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

तमिलनाडु के करूर, डिंडीगुल, पुदुक्कोट्टई और त्रिची जिलों में समग्र शिक्षा के तहत कुल स्वीकृत और उपयोग की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

जिले का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	स्वीकृत राशि	उपयोग किया गया	स्वीकृत राशि	उपयोग किया गया	स्वीकृत राशि	उपयोग किया गया	स्वीकृत राशि	उपयोग किया गया	स्वीकृत राशि	उपयोग किया गया
करूर	30.17	30.01	16.81	16.81	19.07	19.07	18.14	18.14	19.09	19.09
डिंडीगुल	54.83	54.57	29.47	29.47	31.59	31.59	33.32	33.32	34.66	34.66
पुदुक्कोट्टई	58.68	58.54	28.8	28.8	31.36	31.36	26.59	26.59	25.68	25.68
त्रिची	59.32	59.22	33.28	33.28	34.22	34.22	34.83	34.83	35.3	35.3

स्रोत: तमिलनाडु राज्य सरकार
